



HARYANA GOVERNMENT · EMPLOYMENT DEPARTMENT

Haryana Berojgari Bhatta 2026-27 Online Apply from 1 November

Samanya Berojgari Bhatta Yojana · Haryana Unemployment Allowance News · 28-29
October 2026

Under the **Samanya Berojgari Bhatta Yojana**, the Haryana Government will give educated unemployed youth a monthly allowance of **₹1,200 to ₹2,000**. Online applications for financial year **2026-27** will start on **1 November 2026**, and the last date to apply is **30 November 2026**. This PDF contains the newspaper reports with full eligibility and document details.

12TH PASS / 2-YR DIPLOMA ₹1,200 / month	GRADUATE+ / 3-YR DIPLOMA ₹2,000 / month	AGE LIMIT 21-35 Years
APPLY FROM 01 Nov 2026	LAST DATE 30 Nov 2026	FAMILY INCOME Up to ₹3 Lakh/yr

KEY ELIGIBILITY

Haryana domicile · registered with an employment exchange for at least 3 continuous years

Not a student/trainee, not self-employed, not a Saksham Yuva beneficiary · Family property up to ₹10 lakh or 2 hectares farmland · Documents: Parivar Pehchan Patra, Aadhaar, linked bank passbook, education, domicile & caste certificates, property affidavit, self-declaration



Follow on
WhatsApp Channel



Join on
Telegram Channel

 www.quicksarkari.com

बेरोजगारों को मिलेंगे 2 हजार रुपये महीना एक से होंगे आवेदन

चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1,200 से 2,000 रुपये तक मासिक बेरोजगारी भत्ता पाने का मौका मिलेगा। हरियाणा सरकार की सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन एक नवंबर से शुरू होंगे। पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

योजना के तहत 12वीं पास और दो साल का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा रखने वाले युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं, स्नातक या उससे अधिक शिक्षित युवाओं और तीन साल का डिप्लोमा रखने वालों को 2,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा।

आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास व जाति प्रमाण पत्र, सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथ पत्र व स्व-घोषणा पत्र देना होगा। ब्यूरो

बेरोजगार युवाओं के लिए एक नवंबर से शुरू होंगे बेरोजगारी भत्ते के आवेदन

30 तक करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेगा 2,000 रुपये तक मासिक भत्ता

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 28 अक्टूबर : हरियाणा सरकार प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के आवेदन एक नवंबर से लेने जा रही है। पात्र युवा 30 नवंबर तक इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत बारहवीं उत्तीर्ण, दो वर्ष का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह, स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त अथवा तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना और

एक नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम लगातार तीन वर्ष से पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह किसी संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए, न ही स्वयं नियोजित हो और न ही सक्षम युवा योजना का लाभार्थी हो।

इसके अलावा आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए। इच्छुक युवा विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय परिवार पहचान

पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथ पत्र और स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है। विवाहित महिला आवेदकों को ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। विभागीय नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले युवा अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते वेबसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन सुनिश्चित करें ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें।



Thank You!

Thanks for downloading this Haryana Berojgari Bhatta update from QuickSarkari.com. For daily govt job updates, admit cards, answer keys, results and more free PDFs, stay connected with us.



Follow on
WhatsApp Channel



Join on
Telegram Channel

 www.quicksarkari.com

Apply on time and don't miss the benefit!